

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)



[24 दिसम्बर, 1996]

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के
उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर
विस्तार करने का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद् निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 है।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अनुसूचित क्षेत्रों” से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट हैं।

3. संविधान के भाग 9 का विस्तार—पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है।

4. संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण—संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी से असंगत हो, अर्थात् :—

(क) पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा ;

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पुरबां या पुरबों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो ;

(ग) प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है ;

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी ;

(ङ) प्रत्येक ग्राम सभा,—

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी ;

(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी ;

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से, खंड (ङ) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे ;

(छ) अनुसूचित क्षेत्रों में की प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है :

परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा :

परंतु यह और कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे ;

(ज) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा ;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा ; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा ;

(ट) समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वोक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से,—

(i) मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(ii) गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए ;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिरुविरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(iv) ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(vi) सभी सामाजिक सैक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातीय उपयोजनाएं हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें ;

(ण) राज्य विधान-मंडल, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा ।

5. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना—इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विधटित नहीं कर दी जाती है, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।